

15/11/2000 प्रशावली पेशा हुई। व कुलाय अनुपास्थित
प्रशावली का दयान पूर्वक अवलोकन
किया गया। न्यायालय द्वारा
कार-2 निर्देश दिये जाने के बावजूद
वादी द्वारा प्रतिकारी गण के सम्मन
पेशा नहीं करने के कारण उक्त वाद
अन्तर्गत आदेश 9 निप्रम S C P C के तहत
खासिज किया जाता है।

प्रशावली फैसल शुमार, होकर नम्बर
सै कम होकर, दाखिल दफ्तर हों।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
अपमंड अधिकारी, बावड़ी

